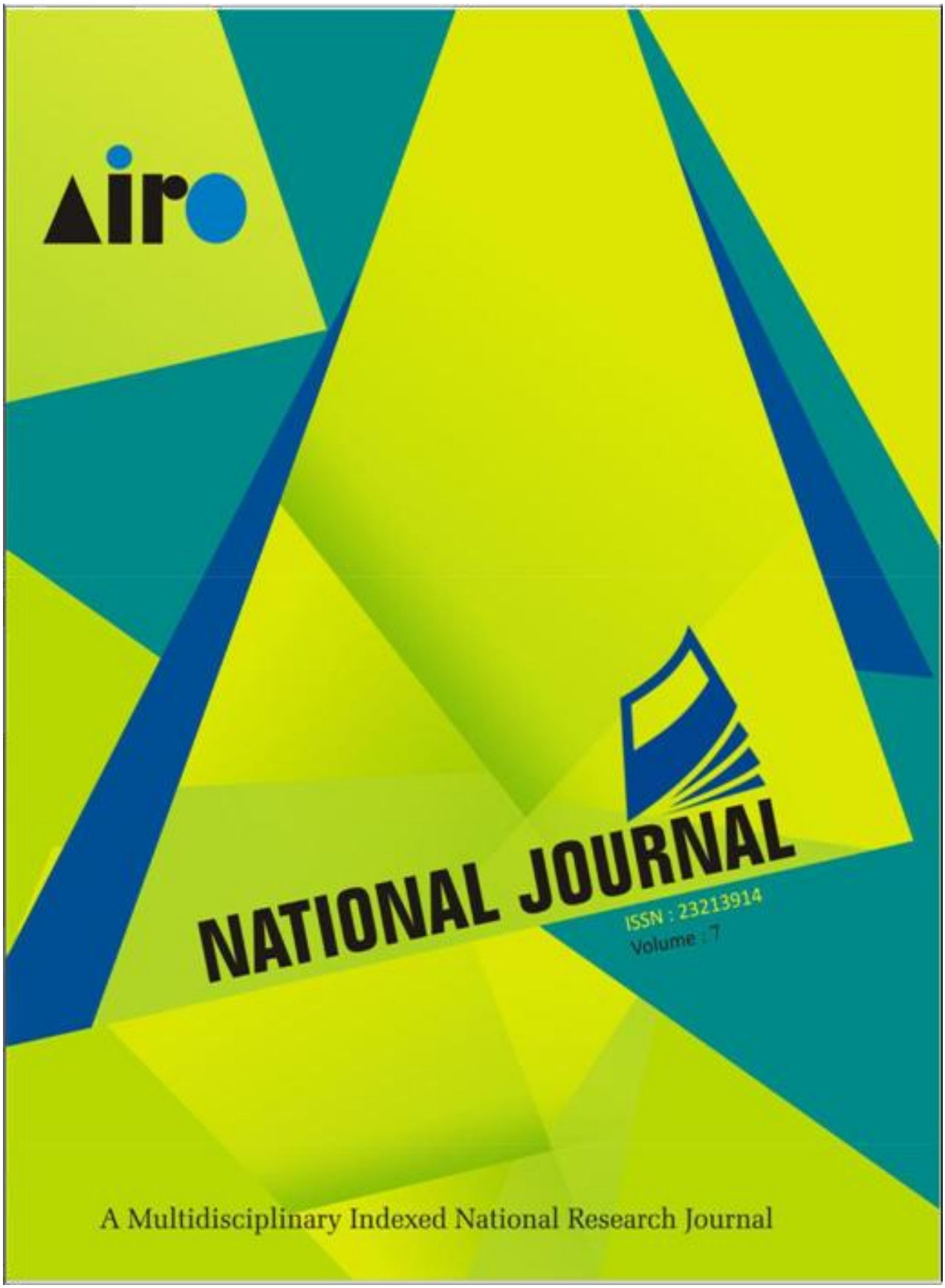

Airo
NATIONAL JOURNAL
ISSN : 23213914
Volume : 7
A Multidisciplinary Indexed National Research Journal

Airo National Research Journal
Volume VII, ISSN: 2321-3914

महिला सशक्तीकरण और वर्तमान कानून

डॉ. राम मेहर सिंह,

एसोसिएट प्रोपफेसर, हिन्दी विभाग

छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

Declaration of Author: I hereby declare that the content of this research paper has been truly made by me including the title of the research paper/research article, and no serial sequence of any sentence has been copied through internet or any other source except references or some unavoidable essential or technical terms. In case of finding any patent or copy right content of any source or other author in my paper/article, I shall always be responsible for further clarification or any legal issues. For sole right content of different author or different source, which was unintentionally or intentionally used in this research paper shall immediately be removed from this journal and I shall be accountable for any further legal issues, and there will be no responsibility of Journal in any matter. If anyone has some issue related to the content of this research paper's copied or plagiarism content he/she may contact on my above mentioned email ID.

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति ही वह सपना है जो समाज की दशा को स्पष्ट कर देता है। स्त्रियां ही संतति की पंरपरा के निर्वाह में मुख्य भूमिका निभाती रही है। पिफर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रही हैं। आखिर स्त्रियों की इस उपेक्षा के पीछे कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं? आखिर ऐसी कौन सी रूढ़ियां, मान्यताएं, आंडबर और बेड़ियां स्त्रियों को जकड़े गये हुए हैं कि वे समाज के दबे–कुचले वर्ग का एक बड़ा भाग होकर रह गयी हैं? सवाल बहुतेरे हैं और उनके जवाब भी। लेकिन जो बात छूट रही है वह है इन सवालों का समुचित निदान। इनका पूरा खात्मा और ऐसी समस्याओं को उपजने देने वाली परिस्थियों से पूरी तरह निजात। आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियों को बाजार की वस्तु बन दिया गया है। आज पिफल्में बनती हैं तो उसमें भी जो दिखता है वही बिकता है का पफार्मूला ही पिफट होता हैं। समाज अपने नैतिक मूल्यों, गरिमा, भद्रता और शिष्टता से कोसों दूर चला गया है। अब इस समाज में मर्यादा और मर्यादित जीवन सिपर्फ एक दुःखद स्वप्न बनकर रह गया है। बाल विवाह , सती प्रथा, वेश्यावृत्ति वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना और न जाने कितने अपराध सरकारी प्रयासों के बावजूद इस समाज की जड़ों में गहरे तक जम चुके हैं।

आज के इस भूमंडलीकृत समाज में स्त्रियों का अवैध व्यापार बे–रोक–टोक जारी है। हालांकि इस व्यापार को रोकने के लिए कानून बने हैं और उस कानूनों का यथांसभव अनुपालन भी होता है लेकिन देह व्यापार के ध्ंधे में लिप्त दलाल इनका भी तोड़ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी लड़की को देह व्यापार में ढकेला जाता है तो उसे देश के साथ विदेश मे भी भेजा जाता है जहां उसे बहुत मूल्य दिया जाता है। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि इन लड़कियों को पर्यटक वीजा देकर विदेश

भेजा जाता है। इस प्रकार के अनेकों उपाय अपनाकर शोषण के नए–नए तरीके अपनाए जाते हैं और सरकारी प्रयास खुद में उलझकर रह जाते हैं। परंतु सच्चाई यह भी है कि केवल सरकारी प्रयासों या कानून से तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता, जब तक कि हम स्वयं सकिय और जागरूक न हों। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए, उन्हें लागू किया और नित नए–नए कानूनों का निर्माण भी कर रही है। दहेज हत्या, बलात्कार, सतीप्रथा, और घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न प्रकार के कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित किए गए।

हाल ही में घरेलू हिंसा से महिलाओं के निजात के लिए एक नया कानून लागू किया गया। 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005' नाम के अधिनियम को 14 सितम्बर 2005 को भारत के राजपत्रा में प्रकाशित किया गया। प्रारंभ में इस अधिनियम की प्रतियां राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस अध्किारियों के पास प्रचार–प्रचार के लिए भेजी गयीं। ससंद के दोनों सदनों ने इस अधिनियम 2005 में ही स्वीकृति दे दी थी और 14 सितम्बर 2005 को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति इसे प्राप्त हुई और महामहिम ने इस पर हस्ताक्षर किए। कुछ कारणों से इसे लागू करने में विलंब हुआ। यद्यपि 26 अक्टूबर 2006 से इस लागू किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए विभिन्न प्रावधन किए गए हैं। प्रथम, इस कानून में घरेलू हिंसा की जो परिभाषा ही गयी है उनमें वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, आर्थिक दुर्व्यवहार की ध्मकी और भावनात्मक उत्पीड़न को शामिल किया गया है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, बच्चे न होने अथवा पुत्रा के जन्म न लेने पर ताने मारना और अपमानित करना भी इस कानून के प्रावधनों में शमिल है। द्वितीय, इसमें पीड़ित महिला के ससुराल अथवा संयुक्त परिवार में रहने के अध्किार का उपबंध् भी किया गया है चाहे ऐसे घर या परिवार पर महिला का स्वामित्व हो अथवा न हो। यदि प्रतिवादी महिला नहीं है तो उसे वह घर छोड़ने के लिए जिसमें शिकायकर्ता महिला के साथ रह रहा है अथवा उसके जैसा वैकल्पिक आवास महिला को देने या उसके लिए ऐसा घर किराए पर लेने का निर्देश इस अधिनियम के अंतर्गत दिया जा सकता है। इस प्रकार महिला को आवास की समस्या से दो–चार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तृतीय, इस अधिनियम में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घरेलू हिंसा या अन्य किसी विनिर्दिष्ट कार्य में सहायता करने अथवा ऐसा कार्य करने, कार्य स्थल अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान जहां सामान्यतः पीड़ित महिला का आना–जाना हो ऐसे स्थान पर प्रवेश करने, पीड़ित महिला से बात करने का प्रयास करने, दोनो पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जा रही परिसंपत्तियों पर केवल अपना अध्किार स्थापित करने से भी रोकने का प्रावधन इस विध्येक में है।

जैसा कि स्पष्ट है कि पीड़ित महिला को आने जाने की स्वंतत्राता तथा परिसंपत्तियों पर अध्किार इस अधिनियम इस अधिनियम में देने का प्रयास किया गया है। वैसे भी आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर महिला को लगभग हर कार्य करना पड़ता है वह मां भी है, सरंक्षक भी और घर की आय में उसका एक बड़ा हिस्सा और सहयोग है। चौथी बात जो इस कानून में है वह कि इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनका दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध् है अथवा रहा है। उन मामलों को भी इस कानून में जगह मिली है जिनमें दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति तथा पीड़ित महिला, दोनों क्यों की बीच समरक्तता, विवाह जैसे प्रंसग अथवा दत्तकग्रहण पर आधरित कोई रिश्ता है तथा जो एक परिवार के साथ रह रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार में रहने वाले परिजनों के संबंधें को भी कानून के दायरे में लाया गया हैं। बहनें, विध्वाएं, माताएं, एकल महिलाएं तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाली महिलाएं भी कानून के सरंक्षण की हकदार होगी।

आज बड़े–बड़े महानगरों में पुरूष और स्त्राी विवाह से पूर्व भी साथ–साथ रहते हैं इन महिलाओं और युवतियों को भी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित महिला को राहत प्रदान करने के लिए जारी किए जाने वाले आदेशों में सरंक्षण आदेश, आवास आदेश, आर्थिक राहत संबंधी आदेश, अभिरक्षा तथा क्षतिपूर्ति आदेश सम्मिलित हैं। महिलाओं को अन्य सुविधएं जैसे चिकित्सा जांच, कानून सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि प्राप्त कराने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में सरंक्षण अध्किारियों की नियुक्ति का प्रबंध् किया गया है साथ ही गैर–सरकारी संगठनों की सहायता एवं विशिष्ट सहयोग भी कानून को लागू करवाने में सहायक होंगे । कानून में एक वर्ष की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माना या दोनों का प्रावधन है। कानून इध्र लागू नहीं हुआ कि उध्र तमिलनाडु के एक जिले में इस कानून के तहत पहली गिरफ्रतार की गयी।

महिलाओं को विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से भी लाभ होगा। अभी तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य न होकर वांछनीय है। विवाह को पंजीकृत कराने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रस्तावना सरकार के समक्ष रखी है। सरकार भी महिलाओं के अध्किारों को लेकर चिंतित है और जल्द ही कानून का निर्माण करेगी। भारत में वर्षो से व्याप्त सतीप्रथा के लिए भी कानून आजादी के बाद बनाया गया। सतीप्रथा ;निवारणद्ध अधिनियम 1987 में बना लेकिन अब उसमे भी संशोध्न की बात चल रही है। पहली विचार यह है कि सही होने का प्रयास करने वाली महिला को 'सामाजिक परिस्थितियों से पीड़ित' माना जाय न कि –'कानून का अपराधी'। अतः इस कानून से संबंध्ति धरा 3 पर संशोध्न का विचार चल

रहा है। पहले उपबंध में यह जोड़ा गया है कि सती होने का प्रयास दबाव या विवशता में किया। उसके परिवार सती होने से रोक सकते थे परंतु रोका नहीं ।

दूसरे उपबंध में यह प्रावधन है कि यदि पहले उपबंध का मत गलत सि(होता है तो सती होने का प्रयास 'सामाजिक परिस्थितियों' के कारण किया। यह सुझाव भी है जो लोग सती प्रथा ;निवारणद्ध अधिनियम 1987 के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं उन्हें जेल से रिहा होने पर भी संसद और राज्य सभाओं के साथ ही पंचायतों से भी 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने को आयोग्य घोषित किया जाए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में संशोधन की सिपफारिशें भी भारत में अनैततिक व्यापार निवारण के लिए ठोस विचार है। अधिनियम से 'वयस्क' और

'अवयस्क' शब्दों के लोप का प्रावधन है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार से संलिप्त लोगों को सजा देना और पीड़ित महिलाओं की रक्षा और गोपनीयता का प्रावधन भी इस संशोधन की मनुष्य बात है। भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं। जैसे पंचायत तथा स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में सुग्राही बनाना ताकि अवैध व्यापार करने वाले आसानी से महिलाओं तथा बच्चों को अपना शिकार न बना सकें। अमेरिका ने भी इस दिशा में 'ट्रैपिफकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' के माध्यम से अपना सहयोग दिया है। विभाग ने रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास के लिए ध्न की समुचित व्यवस्था की है और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण विध्येयक पर विचार चल रहा है। यद्यपि भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के मध्य सहमति नहीं बन पायी है लेकिन आज या कल में सहमति बन जाएगी। यह विध्येयक पास हो जाएगा तो महिलाओं को संसद तथा विधन मंडलों में एक तिहाई आरक्षण मिल जाएगा।चूंकि विश्व के अनुपात में संसद में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी स्थिति इससे बेहतर है। न्यूजीलैंड में तो महिलाओं को अध्किार के बारे में सर्वप्रथम पहल हुई और अन्य पश्चिमी देश भी महिलाआँ की स्थिति के मामले में भारत से उच्चतर स्थिति पर हैं। अतः इस विध्येयक को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल जानी चाहिए। क्योंकि तब महिलाएं अपना कानून स्वयं बना सकेंगी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रा में पूर्व योगदान दे सकेंगी। इन सभी कानूनों के लागू को जाने पर भी महिलाओं के समक्ष कुछ मूलभूत चुनौतियां है। यद्यपि कानून ही वह आधर प्रदान करता है जिसके दम पर महिलाओं के हित के लिए काम किया जाता है।

महिलाओं में दिनोंदिन बढ़ती गरीबी, निर्णय निर्माण में असमान सहभागिपा, संसाध्नों के प्रबंध्न और पर्यावरण के सरंक्षण

में महिलाओं का अल्प योगदान विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का, उत्पादन प्रक्रिया, नीतिनिर्माण और आधरभूत संरचना में महिलाओं की भागीदारी की असमानता, स्वास्थ्य की अपर्याप्त और असमान सुविधएं आदि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं है जिनके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। निश्चित तौर पर यह समस्याएं हमारे समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था की ही देन है। महिलाओं को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्राों में संगठित कर, उनको अपना अध्किारों के प्रति जागरूक कर और सभी स्थानों पर उनके सहभागिता के स्तर को बढ़ाकर ही महिला सशक्तिकरण हो सकेगा और अपना देश तथा समाज भी सशक्त हो सकेगा।

भारत में महिलाओं से संबंध्ति समस्याओं की देखरेख के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ सांविध्कि निकाय है। यहां महिलाओं की समस्या को

सुना, समझा और सांवैधनिक तरीके से हल किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंध्ति महत्वपूर्ण कानूनों की कार्यकुशलता में सुधर की संस्तुतियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनकी समीक्षा कर रहा है। हाल ही में लागू किया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम में राष्ट्रीय महिला आयोग की महती भूमिका रही है। अभी तक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों की समीक्षा भी आयोग द्वारा की गयी है। सतीप्रथा ;निर्वारणद्ध अधिनियम 1987, स्त्राी अशिष्ट रूपण ;निषेध्द्ध अधिनियम 1986, दहेज ;निषेध्द्ध अधिनियम 1961 और अनैतिक व्यापार ;निवारणद्ध अधिनियम 1956 समीक्षा सूची में प्रमुख रूप से शामिल है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सरंक्षण विध्येक 2005 को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रशंसनीय कार्य ही माना जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अन्य प्रमुख कार्य अभिरक्षात्मक न्याय सुनिश्चित करना भी है। महिलाओं से संबंध्ति सभी विषयों का अध्ययन एवं प्रबोध्न, मौजूदा कानूनों की समीक्षा,जहां भी आवश्यक हो संशोध्नों की सिपफारिश और न जाने कितने कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पंजीकरण विध्येक को अनिवार्य किए जाने की भी पहल की। इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिलाओं को सशक्त करना है ताकि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्राों में पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त करें तथा राष्ट्र के निर्माण में समुचित भागीदारी दे सकें क्योंकि तभी भारत मजबूत राष्ट्र बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कानून द्वारा महिला उत्थान – डॉ. महेन्द्र नाथ मिश्र

2. नारी एवं सशक्तीकरणः एक मूल्यपरक विश्लेषण – डॉ नागेन्द्रनाथ सिंह

3. महिला के बढ़ते कदम – डॉ. राजीव नयन गिरि

4. कानून और नारी – डॉ. पुष्पारानी

5. नारी और कानूनी अध्किार – डॉ. राकेश कुमार

6. नारी जीवन और कानून – डॉ. सेतु कुमार

7. सशक्तीकरण का सच – डॉ. शिव प्रताप सिंह